



उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806

Web-www.uppbpb.gov.in

पत्र संख्या-पीआरपीबी-चार-15(5)/2022
सेवा में,

दिनांक-दिसम्बर 22, 2023

अपर पुलिस महानिदेशक,
पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,
पुलिस मुख्यालय भवन, लखनऊ।

विषय- कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में ऑनलाइन विभागीय लिखित परीक्षा दिनांक 02-01-2024 को कराया जाना।


अवगत कराना है कि कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद पर चयन वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 की कुल 1009 रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराये गये अध्याचन के क्रम में "उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2011 (यथा संशोधित)" के प्रावधान के अनुसार चयन के अन्तर्गत ऑनलाइन विभागीय लिखित परीक्षा दिनांक 02-01-2024 को जनपद-लखनऊ के निम्न परीक्षा केन्द्रों में कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा का निर्धारित समय-2.30 घण्टा होगा, जो प्रातः 11.00 बजे से 01.30 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 02 घण्टा पूर्व समय प्रातः 09.00 बजे परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। उक्त परीक्षा हेतु पात्र 1756 पुरुष/महिला अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण/लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

क्र.सं.	परीक्षा केन्द्र का नाम	आवृत्त कार्मिकों की संख्या
1	DIT Education Centre, Kursi Road, Near Srishti Aptment, Gudamba, Lucknow	400
2	Shubham Foundation, Ground Floor, Shivam Palace, Mishrpur, Kursi Road Lucknow	200
3	Cosmo Foundation, P.No. 361, Sitapur Road, Sai Vihar Colony, Naya Khera, Jankipuram Extension, Lucknow	950
4	AP Computers, IIM Road, Near Urdu Farsi University, Lucknow	206
	TOTAL	1756

2- उक्त विभागीय लिखित परीक्षा हेतु पात्र 1756 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड करके नियुक्ति जनपद/इकाई के कार्यालयध्यक्ष से फोटो प्रमाणित कराकर परीक्षा स्थल पर मूल प्रवेश-पत्र के साथ अपना मूल विभागीय परिचय पत्र/आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लेकर आयेगें। अर्ह अभ्यर्थियों/कार्मिकों के जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष प्रवेश-पत्र को वितरित कराते हुये यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्त करा दिया गया है। अर्ह अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त कराये जाने का दायित्व कार्मिकों के नियुक्ति जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

- 3- अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र प्राप्त करने के पश्चात निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी :-
- 3.1- प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ चिपकायेंगे।
 - 3.2- उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रवेश पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा प्रवेश पत्र में चस्पा फोटोग्राफ को सत्यापित करायेंगे।
 - 3.3- अभ्यर्थी को मूल प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा केन्द्र पर जमा करना होगा। अभ्यर्थी अपने मूल प्रवेश-पत्र के साथ मूल विभागीय परिचय पत्र/आधार कार्ड भी अपने साथ लायेगा। अतः अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की छाया प्रति अपने पास अभिलेखार्थ सुरक्षित रखें।
- 4- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी :-
- 4.1- अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र में चस्पा किये गये फोटोग्राफ से उसके चेहरे का मिलान करके उसे समुहर सत्यापित करेंगे। फोटोग्राफ को इस प्रकार सत्यापित किया जायेगा कि अभ्यर्थी का चेहरा मुहर और हस्ताक्षर से ढकने न पाये।
 - 4.2- अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर लिखित परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
 - 4.3- अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
 - 4.4- यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित नियुक्ति स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया हो अथवा प्रतिनियुक्ति पर हो तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष उसकी वर्तमान तैनाती के कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से उक्त प्रक्रिया की सम्पूर्ण सूचना तथा प्रवेश पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थी को उपलब्ध करा दिया जाये।
 - 4.5- लिखित परीक्षा हेतु केन्द्र, दिनांक एवं समय के अनुसार निर्धारित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इसकी सूचना अभ्यर्थियों को दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध/पत्राचार बोर्ड से नहीं किया जायेगा।
 - 4.6- अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 02-01-2024 को आवंटित परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय प्रातः 11.00 बजे से 02 घण्टा पूर्व प्रातः 09.00 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
- 5- उल्लेखनीय है कि प्रायः यह देखने में आया है कि प्रवेश पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को हस्तगत कराने में कार्यालय स्तर पर लापरवाही बरती जाती है, जिसको आधार बनाकर अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा मा० न्यायालय में परिवाद दायर किये जाते हैं, जिसके कारण प्रशासनिक/विधिक कठिनाई उत्पन्न होती है तथा मा० न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। लिखित परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। अतः इसमें किसी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिये। सम्बन्धित अभ्यर्थी को समय से समुचित सूचना एवं प्रतिहस्ताक्षरित/सत्यापित प्रवेश पत्र हस्तगत होना नितान्त आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अवकाश/राजकीय कार्य से जनपद से बाहर हो, अन्यत्र नियुक्त/सम्बद्ध हो तो उसे उसके मोबाइल या अन्य साधन से लिखित परीक्षा की तिथि व समय की सूचना देते हुये विशेष वाहक के माध्यम से उसका प्रवेश पत्र प्राप्त कराया जाना अपेक्षित है।
- 6- उक्त के अतिरिक्त लिखित परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को सम्पूर्ण प्रक्रिया से भी अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वह संगत सेवा नियमावली में निहित मानक के अनुसार तैयारी कर लें। साथ ही यह भी अवगत करा दें कि यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

7- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 31-12-2023 तक इस बोर्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ को सत्यापित करने के उपरान्त प्रवेश पत्र उन्हें हस्तगत करा दिये गये हैं।


अधर सचिव, प्रोन्नति
उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ।